



श्रमायुक्त कार्यालय  
मध्यप्रदेश शासन,  
इन्दौर

न्यूनतम वेतन  
 एवं  
 मंहगाई भत्ते की दरें  
 दिनांक 01/04/2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाईट  
[www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in) पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01/04/2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील  
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 03–15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची “क”	पृष्ठ क. 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 17–19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 20–28
अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क. 29–35
अन्य	पृष्ठ क. 36–37

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/11/अन्वे/पांच/2015/ 10368-618

इंदौर, दिनांक 31/03/2023


### अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	374.11
अगस्त	374.98
सितम्बर	378.14
अक्टूबर	381.60
नवम्बर	381.60
दिसम्बर	381.02
<b>औसत सूचकांक</b>	<b>2271.45 ÷ 6 = 378.58 (379)</b>

तथा इनका औसत 379 घोषित करता हूँ जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कार्स्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एफ 4(सी)1-2013/अ-16. के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर  
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

### परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना 1/11/अन्वे./पांच/2015/ 10368-10.6.18.....दिनांक 24/03/23 के अनुसार जुलाई,2022 से दिसम्बर,2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 379 रहा है। गत छः माही का औसत 366 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 366 के ऊपर  $(379-366)=13$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये  $(25 \times 13)=325.00$  की वृद्धि हुई है तदनुसार अर्द्धकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(379-241)=138$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये  $(25 \times 138)=3450.00$  प्रतिमाह या  $(3450 \div 26)$  रूपये 132.69 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(379-253)=126$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि  $(126 \times 25)=3150.00$  प्रतिमाह या प्रतिदिन  $(3150 \div 26) = 121.15$  रूपये दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023. तक देय है। (अनुसंधी- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून,1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची “क” के अनुसार निर्धारित करता हूं, जो दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय है।

## अनुसूची —अ

**67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)**

न्यूनतम मूल वेतन मंहगाई भत्ता	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तन पील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें						
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक							दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00	अकुशल	6500.00	250.00	3150.00	121.15	9650.00	371.15	371
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	3450.00	132.69	10507.00	404.12	404
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	कुशल	8435.00	324.42	3450.00	132.69	11885.00	457.12	457
9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	3450.00	132.69	13185.00	507.12	507

### स्पष्टीकरण—

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। दित विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची –क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित सारांशिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से सारांशिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001–100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं लालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

टीप:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट—अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट—ब में देखें।

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

## परिशिष्ट—अ

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है  
भाग—एक**

क्रमांक	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्ग पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकॉडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गोरु के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मेंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला समिलित है में नियोजन
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केन्द्र भी समिलित हैं, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड़, मुर्म, लेट्राईट, बोल्डर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्षा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी समिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टर सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार, बड़ी, पापड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्त्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन

## भाग दो

- कृषि में नियोजन

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

### स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं। वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा :—
  - (क) “कुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
  - (ख) “अर्द्धकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्ग का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्ग के कार्य के करने तक ही सीमित है।
  - (ग) “अकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
  - (घ) “उच्च कुशल कर्मचारी” वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कठिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अधिक कार्य का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सातान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

- (4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)
- (5) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होगे।
- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक समिलित है।
- (7) जहाँ कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में समिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

## अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची:-

### अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/ हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/ प्यून/ भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमैन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मैन, गेट कीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़वाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायर्सेंड वेंडर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डाले वाला), गनी बेग फिलर, लिटकैरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़वाला, बोडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बॉय, सेक्यूरिटी गार्ड/ सुरक्षा कर्मी, अटेन्डर, अटेडेन्ट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉन्ड्रीमैन, वॉशरमैन, लोडिंग—अनलोडिंग, माला गूथना, पापड बेलने का कार्य, बेल बॉय, वेटर, रूम अटेन्डेन्ट, धागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

### अर्द्धकुशल:-

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/ सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहर्रि, सहायक मिस्त्री, लाईनमैन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर—वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिंकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमैन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक ऑईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमैन, फायरमैन, लिपिक, पम्प अटेन्डेन्ट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमैन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बोतल फिलर, केम्पूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमैन, एक्सपेलर मैन, मशीन अटेन्डेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाईन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समैन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जाँबर, सहा सचिव, जनपद पंचायत/ ग्रम पंचायत, राईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्रिविस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन ॲपरेटर, सहायक सॉर्टर, मुंशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिरेन्ट, ई.सी.जी. असिरेन्ट, असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर, असिस्टेन्ट नर्स, लिफ्टमैन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, कॉपिरिट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ॲपरेटर, मशीन

अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किल्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किल्स श्रमिक, ब्लेजर पैन मिल, फिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्ड्सा आपरेटर, चिपर, मैकेनिक कम हेल्पर, बेन्ड्सा मैकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमैन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्निशियन, डार्क रुम सहायक, सहायक जिमट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग कर्लक, थ्रेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्सटकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाईजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेअर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अद्व्युक्त शब्दों का उल्लेख कर्मचारी आदि।

#### कुशलः-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मैंसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी), केबिनेट मैकर, चार्जमैन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेन्डेंट, टर्नर, मोल्डर, जेरीबी ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्ट्री, सेलर मिस्ट्री, सुपरवाईजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी मास्टर, ऑर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हैडकलर्क, सचिव जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्कर्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमैन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ, शेपर, वल्कनाईजर, टिंकर, फ्रेममैकर, अपहोल्स्टर, कारपेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्न मैकर, हैमरमैन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनीशियन/लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शॉवल, बेलसिंकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेडेण्ट मोटरमैन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्ट्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कप्रेसर ऑपरेटर, लान्ड्री अटेन्डर, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, सीनियर कम्पाउन्डर, सीनियर नर्स, रेकॉर्ड कीपर, ओ.टी. मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्ट्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमैन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वूड पॉलिशर, ड्रायक्लीन डोजर, स्क्रेपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंजार्च (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवांयजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेंडर्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्रस मैकेनिक कम ऑपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समैन, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटीशियन, मसाजर, केप्टन, बारमैन, स्ट्रैयूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवन/भट्टी कारीगर, मशीन से गिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खींचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोपमेकर, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय मैकर, स्टिचर, रिशेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शननिस्ट, रिवाईन्डर, हेडकुक, सर्वेअर, गाईड सुपरवाईजर, सॉर्टर, वाइण्डर, मैकेनाइजर हाउस कीपिंग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

### उच्च कुशलः—

मेडिकल एवं इंजिनियर स्नातक, एम टेक/एम.एस.सी.डिग्री प्राप्त हाईट्रो इंजीनियरिंग, कम्प्युटर आपरेटर, जियालॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर—सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सॉफ्टवेअर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेअर इंजीनियर, कंसलटेंट, सीनियर कन्सलटेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडीकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टेरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सार्विटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

### किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची :-

#### उच्च कुशलः—

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर—सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

#### लिपिकीय श्रेणी “एक” जैसे :-

अकाउण्टेंट, कैशियर आदि ।

#### लिपिकीय श्रेणी “दो” :-

बिलमेन, टायपिस्ट, कलर्क ।

#### कुशल श्रेणी “एक” जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि।

#### कुशल श्रेणी “दो” जैसे :-

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफ्टिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि।

#### कुशल श्रेणी “तीन” जैसे :-

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

### अद्वकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-


लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निसमेन, बेक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेरस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि ।

### अद्वकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

रेट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काऊण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर पुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लैंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विभिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईडर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

### अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी विलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायलर विलनर, मजदूर आकिजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कार्स्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

## अनुसूची – ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यनतम मूल वेतन भत्ता	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता			कुल वेतन			रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता			रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
<b>दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक</b>												<b>दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक</b>		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00	मजदूर	6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
6705.00	257.85	3125.00	120.19	9830.00	378.08	378.00	पेकर, पट्टी पेकर सीपर	6705	257.85	3450	132.69	10155	390.58	391
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	मुनीम, लेखाकार, कलर्कार्ड	8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
9522.00	366.23	3125.00	120.190	12647.00	486.42	486.00	रोलर्स, मिस्ट्री, घाइन्टर्स	9522	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499
9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00	उच्च कुशल	9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
10155.00	390.57	3125.00	120.19	13380.00	510.76	511.00	कटर्स	10155	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523

### स्पष्टीकरण—

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरों शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001–100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिक्रिया 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

## अनुसूची – स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तन फील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तन फील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक												दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
लिपिक्रिय वर्ग														
6500.00	324.42	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00	अकुशल	6500.00	324.42	3150	121.15	9650	371.15	371
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
							कुशल श्रेणी							
9685.00	372.50	3125.00	120.19	12810.00	492.69	493.00	श्रेणी एक	9685.00	372.50	3450	132.69	13135	505.19	505
9378.00	360.69	3125.00	120.19	12503.00	480.88	481.00	श्रेणी दो	9378.00	360.69	3450	132.69	12828	493.38	493
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी तीन	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
अर्द्धकुशल श्रमिक														
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404

### स्पष्टीकरण—

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इदौर


### अनुसूची – क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्बिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरे	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2022 तक								दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक							
14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6500.00	216.66	2825.00	94.17	9325.00	310.83	311.00	अकुशल	6500.00	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322	
7057.00	235.33	3125.00	104.17	10182.00	339.40	339.00	अर्धकुशल	7057.00	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350	
8435.00	281.16	3125.00	104.17	11560.00	385.33	385.00	कुशल	8435.00	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396	
9735.00	324.50	3125.00	104.17	12860.00	428.67	429.00	उच्चकुशल	9735.00	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440	

#### स्पष्टीकरण

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्भित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/ 10619-868 इन्दौर, दिनांक 31/03/2023

### अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. ऐतद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जुलाई, 2022 से दिसंबर, 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जुलाई, 2022	1131
अगस्त	1140
सितम्बर	1149
अक्टूबर	1159
नवम्बर	1167
दिसंबर, 2022	1167
औसत सूचकांक	<b>6913 ÷ 6 = 1152.17 (1152)</b>

तथा इनका औसत 1152 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01/04/2023 से  
30/09/2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों  
के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)/1-2014-ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वे./पांच./2015/  
10.6/9-868, दिनांक 31-03-2023 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई,2022 से दिसम्बर,2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1152 रहा है। गत छः माही का औसत 1107 रहा था, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1107 के ऊपर (1152-1107)= 45 बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम रवरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रु. 6 प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से (45x6) = 270 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100 )के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (1152-768)=384 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (384x6)= 2304.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (2304÷30)= रु. 76.80 यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2304= 7654.00 तथा 7654÷30 रुपये 255.13 प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय है। (अनुसूची-द)


अनुसूची – द  
कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में श्रमिकों राउण्ड का वर्ग अप मर दैनिक दरे	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें							
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन							
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक						दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	2034.00	67.80	7384.00	246.13	246.00	अकृशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255

**स्पष्टीकरण— परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-**

- (1) न्यूनतम वेतन की दरे तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर व्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिविन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छ: रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियन्/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अंथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रदेशन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल अभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं, तो वह किसी भी दा गा में कम नहीं की जावेगी।(न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की धारा 12 (1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरे महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतमत मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/ 10869-1118

इंदौर, दिनांक 31/03/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ:—

माह/ वर्ष 2022	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी, 2022	8223.90
2. फरवरी	8217.32
3. मार्च	8283.06
4. अप्रैल	8394.82
5. मई	8480.28
6. जून	8493.43
7. जुलाई	8539.44
8. अगस्त	8559.16
9. सितम्बर	8631.48
10. अक्टूबर	8710.36
11. नवम्बर	8710.36
12. दिसम्बर, 2022	8697.22
औसत	$101940.83 \div 12 = 8495.06$ औसत (8495)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8495 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉर्सट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक देय रहेगा।

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर  
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

### परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/10.869-1118 दिनांक 31-03-23 के अनुसार जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8495 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (8495-5299=3196 पाइंट) 3196 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रूपये 31.96 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

(अनुसूची – ई)

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरे परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन	
			1	2
3	4	5	6	7
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	31.96	रु 105.96	किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाल वेतन का योग रूपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा

नोट:- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रूपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 22.26 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रूपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रूपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

## 2. रिलाई श्रमिक

### अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 84.35
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रुपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 88.22

### ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 77.91
2. झिल्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 23.97 (03 पैसे प्रति चार हजार)	रुपये 57.51
3. लेबल लगाना	रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 7.99 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 20.83
4. पुड़ा बनाना या चिपकाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 7.99 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 21.24

### स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 320.48
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 341.43
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 341.43

नोट:- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, घौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1— कुशल:- ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, रटोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर


2— अर्धकुशल:- बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्राईवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर  
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

**.Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)****Effective from 1/04/2023 to 31/3/2024****V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2023**

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	31.96
3.	Leave with Salary ( @5% of total wages)	5.30
4.	Total Wages	111.26
5.	Bonus ( @ 8.33% of Total Wages)	9.27
6.	P.F. contribution of employer ( @ 10% of total wages)	11.13
7.	Total wages +Bonus+PF Contribution)= Less Contibution of employer (-)	131.66
8.	Total Wages+Bonus	120.53
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	11.13
10.	Net Payable to Beedi Roller	109.40

  
 (Dr. Virendra singh Rawat)  
 Labour Commissioner  
 Madhya Pradesh, Indore

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे./पांच/2015 / 1119-368 इन्दौर, दिनांक 31/03/2023

### अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धरा 4 (2) अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर व्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक के माहों के लिए सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :—

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
जुलाई, 2022	374.11
अगरत	374.98
सितम्बर	378.14
अक्टूबर	381.60
नवम्बर	381.60
दिसम्बर, 2022	381.02
औसत सूचकांक	$2271.45 \div 6 = 378.58$ (379 राउंडअप )

तथा उक्तानुसार इनका औसत 379 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्भिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (मेन्युअल एवरेज कार्स्ट आफ लीविंग इंडेक्स नंम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय रहेगा।

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इन्दौर  
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

### परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)–ए–94–16–ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1–2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विर्निमाण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ./पांच/2015/.....  
11.119—368...दिनांक31-03-23 के अनुसार जुलाई,2022 से दिसम्बर,2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 379 रहा है। गत छ: माही का औसत 366 रहा था अतः इसके कारण गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (379–366)= 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये  $25 \times 13 = 325.00$  प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001 =100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $379 - 239 = 140$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये  $25 \times 140 = 3500$  प्रतिमाह या  $3500 \div 26 = 134$  रूपये 62 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 8575.00 रूपये या  $8575 \div 26 = 329$  रूपये 81 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2023 से 30.09..2023 तक देय है।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक निम्नानुसार देय है:—

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राऊण्डअप में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	तम्बाकू तथा तेन्दूपूत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू भिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला रसोईया, वाहन, ड्रायहर (चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, कर्लक, बिलगेन	5075.00	195.19	3500	134.62	8575	329.81	330
2.	द्रुक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूँछों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भूत्य, घौकीदार,	4945.00	190.19	3500	134.62	8445	324.81	325
3.	ड्रायहर (चालक) भारीवाहन, एकाउन्टेन्ट, मुरीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडकर्लक	5225.00	200.96	3500	134.62	8725	335.58	336

### स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

- अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के रत्नंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित ओद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में

हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।

4. निर्धारित मासिक वेतन केलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारेन्टेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारेन्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारेन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़िया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

**श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर**

क्रमांक: 4/11/अन्वे./पांच/2015/ 11369-618

इंदौर, दिनांक 31/03/2023


अधिसूचना

**अगरबत्ती उद्योग**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ -

माह/ वर्ष 2022	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2022	374.11
अगस्त	374.98
सितम्बर	378.14
अक्टूम्बर	381.60
नवम्बर	381.60
दिसम्बर, 2022	381.02
औसत सूचकांक	2271.45 ÷ 6 = 378.58 (379 राउंडअप )

अतः विगत छः माही का औसत 379 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कार्स्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( री ) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय है।

  
 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर  
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप  
अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे./पांच/2015/... 11369-618...दिनांक ३१-३-२३ के अनुसार, जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 379 रहा है। गत छ' माही का औसत 366 रहा था अतः इसके कारण गत छ' माही में मान्य किय गये अखिल भारतीय उपभोक्ता के औसत के ऊपर (379-366)=13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से (25x13)=325.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता में वृद्धि (379-241)=138 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25x138)=3450.00 प्रतिमाह या (3450÷26)=132 रूपये 69 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 325 पर (138÷4=34.50) रूपये 34.50 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दि. 01.04.2023 से 30.09.2023 तक देय है।

अनुसूची -एफ  
अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	न्यूनतम वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	(रु. 34.50) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 55.90
ब. सुगंधित(सेंटेड)	22.00	(रु 34.50) 100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 56.50

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की शिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पैकेट के दोनों और चिट लगाकर पैकेट बंद करना।

विना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	20.48	(रु. 27.60)	रु. 48.08
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु. 27.60)	रु. 48.94
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु. 27.60)	रु. 48.94
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	27.23	(रु. 34.50)	रु. 61.73
			100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	36.58	(रु. 45.54)	रु. 82.12
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	41.54	(रु. 55.20)	रु. 96.74
			100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु. 55.20)	रु. 98.32
			100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	52.76	(रु. 69.00)	रु. 121.76
			100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	

सिलोफेन या जलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु. 27.60)	रु. 48.94
			100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु. 34.50)	रु. 61.10
			100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	33.00	(रु. 45.54)	रु. 78.54
			100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	34.48	(रु. 45.54) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 80.02
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	37.03	(रु. 45.54) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 82.57
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु. 55.20) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 98.32
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	51.00	(रु. 69.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 120.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	54.47	(रु. 69.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 123.47

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर डिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना।

#### बिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	16.98	(रु. 23.46) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 40.44
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	17.80	(रु. 23.46) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 41.26
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	21.30	(रु. 27.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 48.90
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	22.19	(रु. 27.60) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 49.79

5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु. 34.50) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 61.10
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	28.70	(रु. 34.50) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 63.20

(ई) सादे लिफाफे में आगरबत्ती रखकर बन्द करना

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	3.85	(रु. 5.52) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 9.37
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	4.44	(रु .6.90) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 11.34
3. पुंगली बनाने के कागज(रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रु. 9.66) 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रु. 46.00

**कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी**  
**दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक**

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन रूपये	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये	राऊण्ड अप में दैनिक दरेंरूपये		
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1.	पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला भूत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	3450	132.69	9389	361.12	361
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरनेवाला मसाला तौलने वाला	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
3.	एकाउटेन्ट, कैशियर, गोडाउनकीपर, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटीबनाने वाला	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457

**नोट:-** अगरबत्ती उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तौलनेवाला, अकाउटेन्ट, कैशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भूत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

#### स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7 / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

- अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही.डी. ए) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) रो अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु समुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर

कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ: माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 के उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 5/11/अन्वे./पांच/2015/ 11619-868


इंदौर, दिनांक 31/03/2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
2. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर; मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
5. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित
6. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
23. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल.
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, इन्दौर/भोपाल.

32. संचालक / समस्त संयुक्त / उप / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. समस्त सहायक श्रमायुक्त, म.प्र.
34. समस्त श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .
36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
37. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर
39. सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/ अन्वे./पांच/2015/ 11869 – 11999 इन्दौर, दिनांक 31-3-2023

अधिसूचना

विषयः— न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2023 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना का एफ 4 (सी)1–2013/अ–16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुर्णरीक्षित की गई थीं जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68, 70, 71 एवं 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता को विनियोजित करते हुए दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक प्रभावशील की गई है। गत छ: माही का औसत 379 रहा है अतः इसके कारण गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (379–366)= 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:—

अनुसूची —अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित हैं।  
(आकड़े रूपयों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
अर्ध कुशल	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
कुशल	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507

अनुसूची —ब

किसी रलेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित हैं  
(आकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह
मजदूर	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
पेकर्स, पट्टी पेकर सीपर	6705.00	257.88	3450	132.69	10155	390.58	391
मुनीम, लेखाकार कलर्क आदि	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
रालर्स, मिस्ट्री, पाइन्टर्स	9522.00	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
कटर्स	10155.00	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523

अनुसूची – स  
**किसी मुद्रणालय में नियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित हैं

(आकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
<b>लिपिकिय वर्ग</b>							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
<b>कुशल श्रमिक</b>							
श्रेणी एक	9685.00	372.50	3450	132.69	13135	505.19	505
श्रेणी दो	9378.00	360.69	3450	132.69	12828	493.38	493
श्रेणी तीन	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
<b>अर्धकुशल श्रमिक</b>							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371

अनुसूची ‘क’

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभौगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित हैं। (आकड़े रूपयों में)

(30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322
अर्द्धकुशल	7057.00	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350
कुशल	8435.00	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396
उच्च कुशल	9735.00	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440

अनुसूची “द” (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसम्बर, 2022 छ: माही का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1152 है इससे पूर्व की छ: माही का औसत 1107 था जिसके कारण 45 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा—

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350.00	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255

### बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) के औसत के ऊपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार रहेगी :—

### अनुसूची (ई)

#### बीड़ी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें रूपये	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये	कुल वेतन रूपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	31.96	105.96

नोट:— एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 105 रूपये 96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रूपये 66 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 22 रूपये 26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रूपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रूपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

### अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार उपभोक्ता भूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर गत ४ माही में 366 उपभोक्ता सूचकांक होने पर कुल 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:—

### अनुसूची (एफ)

#### अगरबत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु. 21.40	रु. 34.50	रु. 55.90
साधारण अगरबत्ती सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	रु. 34.50	रु. 56.50

**स्पष्टीकरण—1.** म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.06.06 में हुई बर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरे निर्धारित की गई है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।
4. **स्पष्टीकरण:**— राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र. राजपत्र, दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरे, 1 जून, 2015 से प्रगावशील की गई है।

  
(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर

## प्रेस विज्ञप्ति

**न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक प्रभावशील वेतन है।**

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.04.2023 से रूपये 325.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की छः माही में कुल सूचकांक का औसत 379 रहा है। इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रूपये 25.00 प्रति बिन्दु की दर  $13 \times 25 = 325.00$  रूपये (तीन सो पच्चीस रूपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार 01.04.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रूपये 3450.00 प्रतिमाह अथवा 132.69 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 9650 या प्रतिदिन रु. 371.15, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 10507 या प्रतिदिन रूपये 404.12, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 11885 या प्रतिदिन रूपये 457.12 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 13185 या प्रतिदिन रु. 507.12 देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर  $(1152-1107)=45$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह 270.00 रूपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है, जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 7654, या प्रतिदिन रूपये 255.13 की मजदूरी मंहगाई भत्ता सहित दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक के लिए देय होगा।

अगरबत्ती नियोजन में गत छः माही का औसत 379 रहा है। जो इसके पूर्व की छः माही के औसत 366 से ज्यादा है इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर  $(379-241)=138$  औसत बिन्दुओं अगरबत्ती नियोजन में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत 13 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण 01.04.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रु. 55 रूपये 90 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए 56 रूपये 50 पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 105 रूपये 96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 05 रूपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रूपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 22 रूपये 26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रूपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रूपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

### स्पष्टीकरण:-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/वार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक : 1/11/अन्वे./पांच/2015/ 12000 – 12002 इन्दौर, दिनांक 31/03/2022

प्रतिलिपि :-

- (1) संचालक, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- (2) अपर संचालक, जन संपर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इन्दौर

## श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2015/ 12002-252

इन्दौर, दिनांक 31/03/2023

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाडा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रत्लाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, निवाडी, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, भोपाल, वैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झावुआ, खण्डवा, बडवानी, अलीराजपुर, आगर मालवा (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाडा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रत्लाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, निवाडी, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, भोपाल, वैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झावुआ, खण्डवा, बडवानी, अलीराजपुर, आगर मालवा (म.प्र.)
3. उप श्रमायुक्त, भोपाल / इन्दौर
4. सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर, उज्जैन, मंदसौर, सागर, सतना, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, होशंगाबाद, सिंगरौली, मुरैना, शहडोल।
5. श्रम पदाधिकारी, / सहा. श्रमदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक बालाघाट, कटनी, छिन्दवाडा, मण्डला, देवास, रत्लाम, शाजापुर, छतरपुर, दमोह, सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, वैतुल, विदिशा, मण्डीदीप(रायसेन), राजगढ़, गुना, भिण्ड, मालनपुर (भिण्ड), बुरहानपुर, धार, पीथमपुर, खरगौन, झावुआ, होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़, उमरिया, अनुपपुर, डिंडोरी, सीहोर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, खण्डवा, बडवानी, अलीराजपुर, हरदा।
6. संचालक, औद्योगिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा इन्दौर।
7. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा इन्दौर, भोपाल।
8. उप संचालक, औद्योगिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा इन्दौर हायजिन लेब इन्दौर, देवास, उज्जैन, खण्डवा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरौली, बीना(सागर)।
9. सहायक संचालक औद्योगिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा मंदसौर।
10. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिमर्णन कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
11. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
12. सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर

- 13 सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल  
 14. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश)।

विषय :— न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से लागू न्यूनतम वेतन दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई पुनरीक्षित दरें दिनांक 01.04.2023 से प्रभावशील की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की बेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग की बेबसाइट [www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in) पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इन्दौर